प्रेस नोट दिनांक 13.05.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली नगर पुलिस को मिली सफलता: थाना क्षेत्र में फायरिंग कर दहशत फैलाने वाला 25,000/- का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त पिस्टल व कारतूस बरामद

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा फायरिंग/ हत्या के प्रयास के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त वैभव कुमार त्रिपाठी को गिरफ्तार किया गया, साथ ही अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद आलाकत्ल पिस्टल व 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद-

अभियुक्त पर जनपद प्रतापगढ़ में हत्या का प्रयास, फायरिंग, छेड़खानी, मारपीट धमकी जैसे 04 गंभीर अपराध पंजीकृत है-

प्रतापगढ़।
वादी निवासी सगरा सिटी रोड थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ़ द्वारा तहरीर देकर आरोप लगाया गया कि दुकान पर परफ्यूम को लेकर हुए विवाद के बाद कुछ युवक अपने साथियों के साथ अवैध असलहों से लैस होकर आए और जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। फायरिंग की घटना से क्षेत्र में अफरा-तफरी एवं दहशत का माहौल उत्पन्न हो गया था। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 649/2025 धारा 191 (2)/191 (3)/109 (1) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री सुभाष कुमार यादव के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर के उ0नि0 अनुपम त्रिपाठी मय हमराह उ0नि0 श्री प्रशान्त दुबे, हे0का0 नासिर कमाल, का0 रमाकान्त गौड मय चालक हे0का0 पवन मौर्या द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर से संबंधित 25000/- रुपये का इनामिया वांछित 01 अभियुक्त वैभव कुमार त्रिपाठी पुत्र अशोक कुमार त्रिपाठी निवासी सिधारी पट्टी प्रेमधर पट्टी थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 27 वर्ष को 01 अदद आलाकत्ल पिस्टल व 02 अदद जिन्दा कारतूस के साथ उसके गांव सिधारी पट्टी प्रेमधर पट्टी के तालाब के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त से घटना में प्रयुक्त पिस्टल के बारे में पूछताछ की गई तो बताया गया कि जिस पिस्टल से मेरे द्वारा फायर किया गया था घटना के बाद उस पिस्टल और कारतूस को मैंने किशुनदासपुर पुल के पास मन्दिर के पीछे झाड़ में मिट्टी के नीचे छुपा कर रखा हूं और पुलिस से बच कर भाग रहा था। अभियुक्त

की निशानदेही पर 01 अदद आलाकत्ल पिस्टल व 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किये गये, जिसके संबंध में अभियोग उपरोक्त में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गई।

इनामिया गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. वैभव कुमार त्रिपाठी पुत्र अशोक कुमार त्रिपाठी निवासी अपने गांव के तालाब के पास पट्टी थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 27 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-
01. मु0अ0सं0- 0410/2017 धारा 323/504/506 भा0द0सं0 थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।
02. मु0अ0सं0- 0905/2018 धारा 354(घ)/506 भा0द0सं0 थाना कोतवाली सिटी जनपद प्रतापगढ़।
03. मु0अ0सं0- 0320/2025 धारा 110/115(2)/117(2)/190/351(2)/352 बीएनएस थाना कोतवाली सिटी जनपद प्रतापगढ़।
04. मु0अ0सं0 649/25 धारा 191 (2)/191 (3)/109 (1) बीएनएस व 7 CLA एक्ट थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 अनुपम त्रिपाठी मय हमराह उ0नि0 श्री प्रशान्त दुबे, हे0का0 नासिर कमाल, का0 रमाकान्त गौड मय चालक हे0का0 पवन मौर्या थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना रानीगंज के उ0नि0 गिरजा प्रसाद सिंह मय हमराह कां0 रामकिशन द्वारा वाद सं0 19026/23 धारा 138 NI Act थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 01 वारंटी अभियुक्त जगन्नाथ गुप्ता पुत्र पूर्णमासी निवासी ग्राम आमापुर बेर्रा थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. जगन्नाथ गुप्ता पुत्र पूर्णमासी निवासी ग्राम आमापुर बेर्रा थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
उ0नि0 गिरजा प्रसाद सिंह मय हमराह कां0 रामकिशन थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़

☞ थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना दिलीपपुर के उ0नि0 देवेन्द्र कुमार पाठक मय हमराह का0 आशीष कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन, तलाश वांछित, वारंटी दौरान माननीय न्यायालय SC/ST P Atrocities Special Court प्रतापगढ मु0नं0 219/2022 राज्य बनाम संदीप उर्फ मताई मु0अ0सं0 208/2021 धारा 3(1)(r),3(1)(s), 3 (2)(va)SC/ST Act से सम्बन्धित अभियुक्त वारण्टी मोहम्मद एकलाख उर्फ पप्पू उम्र करीब 33 वर्ष पुत्र मोहम्मद हफीज निवासी ग्राम जगदीशगढ़ थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. मोहम्मद एकलाख उर्फ पप्पू पुत्र मोहम्मद हफीज निवासी
ग्राम जगदीशगढ़ थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
उ0नि0 देवेन्द्र कुमार पाठक मय हमराह का0 आशीष कुमार थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़।